

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 17, सोमवार, शाके 1947- दिसम्बर 08, 2025 Agrahayana 17, Monday, Saka 1947- December 08, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 05, 2025

संख्या 12511-29:-ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड की 92 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 90.5 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनसुरक्षा एवं यातायात के समुचित प्रवाह एवं नियंत्रण हेतु राजस्थान मोटर व्हीकल्स नियम, 1990 के नियम 8.1(ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, सुमित मेहरडा, पुलिस उपायुक्त यातायात, जयपुर लोकहित में एतद्वारा जयपुर आयुक्तालय में निम्न मार्गों पर ई-रिक्शा/ई-कार्ट के संचालन हेतु निम्न प्रकार प्रतिषिद्ध (Prohibit) एवं निर्बन्धित (Restrict) करता हूँ :-

ई-रिक्शा/ई-कार्ट हेतु मुख्य कॉरीडोर के अनुसार निर्धारित जोन

क्र.सं.	जोन का नाम	मुख्य मार्ग/क्षेत्र	मुख्य क्षेत्र	कलर	क्षमता
1	सेन्ट्रल जोन	सीकर रोड मुख्य मार्ग को छोड़कर दाहिनी भाग, विद्याधर नगर, विश्वकर्मा, शास्त्रीनगर, अम्बाबाड़ी, बनीपार्क, संजय सर्किल, एम.आई. रोड, अशोक मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, हवा सड़क, सिविल लाईन, सोडाला, हसनपुरा रोड तथा रेल्वे स्टेशन।	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, विद्याधर नगर, अम्बाबाड़ी, पानीपेच, एमआई रोड (खासाकोठी से अजमेरी गेट तक का भाग), अशोक मार्ग, सरदार पटेल मार्ग (गवर्नमेंट हॉस्टल से राजभवन चौराहा तक), अजमेर पुलिस, सिविल लाईन, विधायकपुरी थाना, हथरोई, संजय सर्किल तथा रेल्वे स्टेशन से चिंकारा तक।	नारंगी	2000
2	पश्चिम जोन	आयुक्तालय सीमा सीकर रोड से सीकर रोड, चौमू पुलिस, झोटवाड़ा रोड, खातीपुरा रोड, क्वीन्स रोड, वैशाली नगर, 200 फिट चौराहे से अजमेर रोड मुख्य मार्ग आयुक्तालय सीमा तक का क्षेत्र।	चौमू, हरमाड़ा, मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, कालवाड़ा, निवारू, सिरसी, गोविन्दपुरा, खातीपुरा, हनुमान नगर, हाथोज, कमला नेहरू नगर, भांकरोटा, करधनी विहार, वैशाली नगर, बगरू, गोविन्दपुरा तथा नीन्दड़।	हरा	9000
3	दक्षिण जोन	200 फिट चौराहे से अजमेर रोड, सोडाला तक, 22 गोदाम, सी-स्कीम, अशोक मार्ग से टोंक रोड	महिन्द्रा सेज, नेवटा, वाटिका, मुहाना, सांगानेर, नारायण विहार, मानसरोवर, सोडाला, निर्माण	पीला	7500

		के अन्दर की तरफ आयुक्तालय सीमा कौथून तक।	नगर, महेश नगर, श्याम नगर, बरकत नगर, अशोक नगर, सिविल लाईन तथा सी-स्कीम क्षेत्र।		
4	पूर्व जोन	कौथून आयुक्तालय सीमा से मुख्य मार्ग टॉक रोड यादगार तिराहा तक, ट्रांसपोर्ट नगर, आगरा रोड मुख्य मार्ग आयुक्तालय सीमा तक।	सीतापुरा, प्रताप नगर, सिद्धार्थ नगर, जगतपुरा, महल रोड, खो-नागौरियान, गोनेर, लूनियावास, मालवीय नगर, मॉडल टाउन, झालाना, गांधीनगर, आदर्श नगर, राजापार्क, जवाहर नगर, घाट की गुणी, खानिया तथा कानोता।	लाल	5000
5	उत्तर जोन	एमआई रोड को छोड़कर, अजमेरी गेट, संजय सर्किल माउण्ट रोड आमेर, दिल्ली रोड आयुक्तालय सीमा, ट्रांसपोर्ट नगर, आगरा रोड मुख्य मार्ग को छोड़कर उत्तरी भाग	जालूपुरा, न्यू कोलोनी, जयन्ती बाजार, ब्रह्मपुरी, गलता गेट तथा आमेर दिल्ली रोड।	नीला	6000
6		संजय सर्किल स्टेशन रोड रेल्वे स्टेशन	रिजर्व पुलिस लाईन, पारीक कॉलेज मोड, सिन्धीकैम्प तथा पोलोविक्ट्री से रेल्वे स्टेशन तक।	ग्रे/सलेटी	250
7	7A	संजय सर्किल-माउण्ट रोड-गणगौरी बाजार-छोटी चौपड़-चांदपोल बाजार-संजय सर्किल	पुरानी बस्ती, फूटा कोट, गढ गणेश जी, ब्रह्मपुरी चौक, 12 भाईर्यों का चौराहा तथा चौगान चौराहा।	गुलाबी	50
	7B	अजमेरीगेट- छोटी चौपड़-त्रिपोलिया बाजार-चौड़ा रास्ता-नेहरू बाजार-अजमेरी गेट	किशनपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, त्रिपोलिया टी पॉईंट, चौड़ा रास्ता से न्यू गेट तथा नेहरू बाजार से अजमेरी गेट तक	गुलाबी	50
	7C	सांगानेरी गेट-जौहरी बाजार-बडी चौपड़-त्रिपोलिया बाजार- चौड़ा रास्ता-बापू बाजार- सांगानेरी गेट	जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, त्रिपोलिया टी पॉईंट, चौड़ा रास्ता से न्यू गेट तथा बापू बाजार से सांगानेरी गेट।	गुलाबी	50
	7D	बडी चौपड़- रामगंज चौपड़-सूरजपोल गेट- गलता गेट चौराहा	रामगंज बाजार, घाट बाजार	गुलाबी	50
	7E	बडी चौपड़-हवामहल बाजार-चांदी की टकसाल- सुभाष चौक, चारदरवाजा, रामगंज चौपड़ से पहले तक	गोविन्द देव जी, जन्तर-मन्तर, सिटी पैलेस, सुभाष चौक से चारदरवाजा- घोड़ा निकास	गुलाबी	50
योग					30000

ई-रिक्शा हेतु प्रतिबंधित मार्ग

1. जयपुर शहर के समस्त ऐलिवेटेड रोड पर।
2. जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर।
3. गांधी नगर मोड से जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित गांधी सर्किल तक।
4. जनपथ रोड,
5. भवानी सिंह रोड,
6. पृथ्वीराज रोड,
7. नाटानियों का चौराहा, सिविल लाईन फाटक, राममंदिर तिराहा, रामनगर तिराहा, मजदूर नगर तिराहा से अन्दर समस्त सिविल लाईन्स क्षेत्र ।
8. जयपुर शहर में रेल्वे लाईन पर निर्मित पुलिया के अतिरिक्त समस्त पुलिया पर।
9. आगरा रोड के लिए टनल में।
10. जयपुर शहर में गुजरने वाले समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर।

यह अधिसूचना राज-पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

सुमित मेहरडा,
पुलिस उपायुक्त,
यातायात जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।